for 7.1.10

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

CODE OF CONDUCT

(STUDENTS)

1- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्याओं के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि यदि रैगिंग का कोई प्रकरण महाविद्यालय प्रशासन की नजर में आयेगा तो संबन्धित छात्रा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा। इसके पश्चात् उसका स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नही पाया गया तो महाविद्यालय प्रशासन छात्रा को संस्था से निष्कासित कर देगा।

2- महाविद्यालय में गुटखा,बीडी,सिगरेट आदि तम्बाकू उत्पाद बेचना एवं उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंधन करने पर कानून की धारा 4 एवं 6 (ब) अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3- महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों स्टाफ मेम्बर्स के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्राचार्य की अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

4- पाठ्यक्रम, टाईम टेबल, परीक्षा व्यवस्था आदि के लिये विद्यार्थियों को अनवरत सूचना पट्ट देखते रहना चाहिये। सूचना पट्ट पर प्रसारित सूचना की जानकारी प्राप्त करना उनका स्यंम उत्तरदायित्व होगा।

5- प्रवेश नियमों एवं महाविद्यालय की समस्त सूचनाओं से सम्बंधित समस्त जानकारी महाविद्यालय की बेबसाइट http://hte.rajasthan.gov.in/college/ggcbharatpur पर उपलब्ध है कृपया अवश्य अवलोकन करे।

6- छात्रायें महाविद्यालय में नियमित अध्ययन हेतु अपने टाईम टेबल के अनुरूप उपस्थित रहे। सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम 75 प्रतिशत तक उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अभाव में छात्रा को विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जाा सकता है।

7- छात्रायें महाविद्यालय केम्पस को साफ रखने में अपना सहयोग प्रदान करेगी। महाविद्यालय कैम्पस प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया है अतः छात्राये पॉलिथिन एवं प्लास्टिक तथा थर्मोकोल से निर्मित वस्तुओं का उपयोग नहीं करें।

8- छात्राये कैम्पस में अनुशासन बनाये रखने में सहयोग प्रदान करेगी। किसी भी अनुशासनहीनता की स्थति में कॉलेज की अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। जॉच करने पर यदि अनुशासनहीनता पाई जाती है तो छात्रा को महाविद्यालय से निष्काषित किया जा सकता है।

9- प्रयोगशाला, लाईब्रेरी एवं खेल–कूद आदि गतिविधियां में उनका उपयोग में लाये जाने के नियमों की अवहेलना नही करेगी।

10- अध्ययन के अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे एन.एस.एस. खेलकूद,साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने सर्वांगींण विकास हेतु लाभ उठायेंगी।

6.8.21

प्राचार्य
रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज0)

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

Code Of Conduct

Teachers

1. प्राध्यापक महाविद्यालय मे अध्यापन का कार्य U.G.C. के नियमों क अन्तर्गत बने टाईम टेबल क अनुरूप करेगें।
2. अध्यापन के अतिरिक्त प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय के संचालन हेतु गठित समितियों के अनुरूप अपने दायित्वों का निविहन कर सहयोग प्रदान करेंगे।
3. अपने ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु शोध कार्य, शोध पत्र लेखन, शोध निर्देशक आदि के रूप में कार्य करेंगे जिससे छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिल सके।
4. महाविद्यालय के साथ–साथ प्राध्यापक अपने को सामाजिक सरोकारो से जोड कर रखेंगे जिससे संस्थान एवं समाज के बीच संवाद स्थापित हो सकेगा।
5. प्राध्यापक सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली R.S.R. के अनुरूप अपना आचरण ही रखेंगे।
6. प्राध्यापक अपने आचरण व्यवहार आदि से छात्रों के मध्य सदाचार का वातावरण निर्माण करने में सहयोग करेंगे।

6.8.21
प्राचार्य
रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज0)

fas 7.1.10

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

Code Of Conduct

Administrative Officer

1. महाविद्यालय के सफलतापूर्वक संचालन में अपने सहयोगी साथियों को साथ में लेकर कार्य करेंगे।
2. किसी भी पूर्वागृह से ग्रसित हुए बिना अपने सभी सहयोगियों के साथ समान व्यवहार करेंगे।
3. पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए अपने कार्यो में पारदर्शिता रखेंगे।
4. समय–समय पर अपने अधीन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठके कर उनकी समस्या के बारे में जानकारी लेंगे तथा उनके सुझावों के आधार पर महाविद्यालय संचालन हेतु कार्य व्यवस्था बनायेंगे।

रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर (राज.)

Code Of Conduct

Staff

1. महाविद्यालय के सभी मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारी नियमित समय पर महाविद्यालय में आयेंगे तथा आपकी निर्धारित सीट पर उपस्थित होकर अपने कार्य को पूर्व करेंगे।
2. आपको दिये गये कार्यो को प्रतिदिन के हिसाब से पूर्ण कर उनको फाईलों में सही रूप से संधारित करेंगे जिससे भविष्य में इन पत्रो को मॉगने पर प्रस्तुत किया जा सके।
3. छात्राओं तथा उनके अभिभावकों से सदभावनापूर्ण व्यवहार अपेक्षित है। उनकी समस्याओं तथा कार्यो का सही तरीके से समाधान करेंगे।
4. महाविद्यालय क सभी व्यक्तिों से शिष्ट एवं सदाचार पूर्वक व्यवहार करेंगे।

6.8.21

प्राचार्य
श्वरी देवी कन्या महाविद्यालय
भरतपुर (राज0)